इन्दौर के महापौर पद के लिए
कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला का

वचन एवं दृष्टि पत्र

इन्दौर के नागरिक यह अच्छी तरह जानते है कि भोपाल से इन्दौर आने वाले घोषणावीर हर दौरे के दौरान ढेर सारी घोषणाएँ करके जाते है। इन घोषणाओं का कभी क्रियान्वयन नहीं होता है।

कुछ लोग नगर निगम चुनाव के समय अपना संकल्प पत्र लेकर आते है लेकिन उनके संकल्प बीस साल बाद भी अधूरे ही है। ऐसे में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के द्वारा यह वचन पत्र जारी किया जा रहा है जो कि कांग्रेस का वचन पत्र है।

नगर निगम की सत्ता में आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा इस वचन पत्र का क्रियान्वयन किया जाएगा। वचन पत्र के हर वचन को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। इन्दौर के नागरिकों को भविष्य का इन्दौर तैयार करने के लिए सहभागी बनाया जाएगा।

चंद लोग एक कमरे में बैठकर इन्दौर के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते हैं, इसमें जनभागिता आवश्यक हैं।

सदैव आपका

संजय शुक्ला (विधायक)

महापौर प्रत्याशी कांग्रेस

मतदान : 6 जुलाई 2022, बुधवार

समय : प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक

निवेदक : संजय शुक्ला जिताओ समिति

(इन्दौर शहर कांग्रेस कमेटी व कार्यकर्तागण)

आप मुझे आशीर्वाद दें

मैं सदैव आपकी कसौटी पर खरा ऊतरूँगा ।।

संजय शुक्ला

महापौर प्रत्याशी कांग्रेस

घरों में निःशुल्क जल

शहर भर में नागरिकों के घरों में जल प्रदाय के लिए नगर निगम के द्वारा आधा इंच के नल कनेक्शन दिए गए हैं। इस कनेक्शन से प्राप्त होने वाले पानी से व्यक्ति की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हम नागरिकों को आधा इंच के घरेलू कनेक्शन पर निःशुल्क एवं प्रतिदिन जल प्रदाय करेंगे। नागरिकों को जलकर के रूप में जो राशि चुकाना पड़ती है उस राशि से उन्हें मुक्ति मिलेगी, नियमित प्रतिदिन स्वच्छ पानी मिलेगा। इस संबंध में विस्तृत नियम बनाए जाएंगे जिससे कि इस योजना का दुरुपयोग ना हो।

पानी के संकट का समाधान

इस समय इंदौर में नर्मदा पेयजल योजना के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का पानी आ चुका है। अभी यशवंत सागर, बिलावली और नर्मदा से मिलाकर 56 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन इन्दौर आ रहा है। उसके बाद भी आधे इंदौर में पानी की समस्या रहती है। जिस समय नर्मदा का तीसरा चरण लाया गया था उस समय यह कहा गया था कि रिंग रोड और बाईपास तक अब हर कॉलोनी में नर्मदा का पानी पहुंचेगा लेकिन ऐसी घोषणाएं आज तक कागज पर ही सिमटी हुई है। शहर के बाहरी क्षेत्र में तो छोड़िए मध्य क्षेत्र में भी लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी का संकट अब केवल ग्रीष्म ऋतु तक सीमित नहीं रह गया है। ऐसे में पानी (नर्मदा) के वितरण की व्यवस्था में सुधार करना और जलूद से इंदौर तक पानी लाने में जो पानी का अपव्यय हो रहा है, उसे रोकने का काम करते हुए इंदौर को पेयजल संकट से मुक्त कराने का काम करूंगा। हर झोन में, हर घर में जल प्रदाय करने के लिए अलग से जल आपूर्ति का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। जिसके माध्यम से जहाँ आवश्यक हो वहां पुरानी जल वितरण पाइप लाइन बदलने या नवीन जल वितरण पाइप लाइन बिछाने एवं उच्च स्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा। इस तरह से नागरिकों को पर्याप्त पानी दिया जाएगा जिसके चलते हुए वे अपने घरों में बोरिंग कराने की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे। इससे इन्दौर के भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में और सुधार करने में मदद मिलेगी।

स्वच्छता शुल्क को युक्ति युक्त करना

नगर निगम के द्वारा नागरिकों से संपत्ति कर के साथ स्वच्छता कर भी लिया जाता है और उसके अतिरिक्त कचरा संग्रहण शुल्क भी प्रति माह की दर से वसूल किया जाता है। इंदौर शहर स्वच्छता में पूरे देश

में सिरमौर है। इसे कायम रखने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए इस कार्य पर खर्च किए जाते हैं। प्रारम्भ से ही स्वच्छता की जवाबदारी नगर निगम की है। इसके साथ ही कचरे के माध्यम से कमाई करने के कई क्षेत्र नगर निगम के द्वारा खोज लिए गए हैं। इन क्षेत्र से नगर निगम पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है। फिर भी सामान्य नागरिकों से बेतहाशा वसूली कर रहा है। हम यह देखेंगे कि स्वच्छता को कायम रखने में कितना पैसा खर्च हो रहा है उतना पैसा यदि हमें इन अलग–अलग क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय से अर्जित हो जाता है तो हम घर घर से लिए जाने वाले कचरा परिवहन शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। कचरा संग्रहण एवं उसके निस्तारण के साथ स्वच्छता के अन्य सभी मानकों पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। खुली नालियों एवं सीवरेज लाइन की नियमित सफाई (क्लीनिंग मशीन द्वारा) का योजनाबद्ध तरीके से प्रबंध किया जायेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर के सभी क्षेत्रों में अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज (सीवरेज) लाइन हो।

शहर में सड़कों का निर्माण

नगर निगम के जनकार्य विभाग के द्वारा हर साल शहर में सड़क बनाने के काम पर हर साल मोटे तौर पर 500 करोड रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी शहर में सड़कों की हालत खराब रहती है। हम 5 साल में इंदौर शहर की सभी सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक ब्लू प्रिन्ट तैयार करेंगे। ठेकेदारों से निर्माण की ग्यारंटी ली जावेगी। निगम के **"रोड़ डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेल"** एवं **"ब्रिज सेल"** को एक बार फिर सक्रिय किया जाएगा। इन दोनों सेल की बैठक में विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा। उनके द्वारा दिए गये सुझाव के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी हालत में बारिश के पानी का जमाव सड़कों पर ना हो। शहर में करीब 35 छोटे–बड़े नाले है, इनका विकास कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा और इनके माध्यम से बारिश के पानी की निकासी को सुनिश्चित किया जाएगा। नाला टेपिंग के नाम पर की गई गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा। सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को दृढ़ता से लागू किया जाएगा।

इन्दौर विकास योजना–2035 (मास्टर प्लान)

इन्दौर विकास योजना–2035 विचाराधीन है। 2035 तक शहर की आबादी 45 लाख को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाना चाहिए। बेहतर होगा प्लानिंग ऐरिया को सम्पूर्ण इन्दौर जिले तक बढ़ाया जावे। परन्तु नगर निगम इन्दौर की सीमा यथावत रखी जाकर निवेश क्षेत्र में आ रही सभी नगरीय निकायों को मजबूत किया जावे। इस योजना में यशवंत सागर, बिलावली एवं लिम्बोदी तालाब गहरी करण को शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इन्दौर के आसपास के चम्बल एवं नर्मदा के कछार में स्थित सतही जल स्रोतों का दोहन कर जल योजना बनाने के प्रस्ताव को भी पुनः शामिल किया जाना चाहिए। 30 से 50 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित हो। प्रमुख शहर इन्दौर और आसपास विकसित उपनगर के मध्य वन हो। निवेश क्षेत्र में आने वाले सभी तालाब और नदी–नालों को चिन्हित कर उनके केचमेंट ऐरिया को ग्रीन बेल्ट में रखा जावे। वेट लैंड का बचाव हो। आवासीय क्षेत्रों का नियोजन उपनगरों में विकसित हो। जो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो और नगर यातायात से संलग्न हो। आवासीय योजना शहर आबादी घनत्व निर्धारित

बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना चाहता हूँ

बस आपका साथ चाहिए

संजय शुक्ला

महापौर प्रत्याशी कांग्रेस

मापदण्ड के अनुरूप हो। विकास योजना में मात्र शासन ही धन लगाए ये योजना का आधार नहीं होना चाहिए। निजी क्षेत्र की सहभागिता भी विकास योजना में तय होना चाहिए। इन्दौर विकास योजना–2035 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाना चाहिए जो योजना क्रियान्वयन से संबंधित सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करें। सभी संबंधित विभागों को उचित बजट आवंटन हो इसका प्रावधान विकास योजना में हो।

शासन से यह आग्रह किया जाएगा कि इस योजना को क्रियान्वित करने के पूर्व 2008–2021 के मास्टर प्लान में शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए जो प्रस्ताव थे उनका क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करें। इन सारे प्रस्ताव को 2035 के मास्टर प्लान में भी शामिल किया जाए। ध्यान रहे कि मास्टर प्लान 2021 में रीगल चौराहा, चौइथराम अस्पताल, नौलखा चौराहा, भंवरकुंआ चौराहा, मालवा मील चौराहा, विजय नगर चौराहा, मरी माता चौराहा, पलसीकर कॉलोनी चौराहा पर फ्लाइओवर ब्रिज के निर्माण का प्रावधान था लेकिन इनमें से एक भी स्थान पर फ्लाइओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका है।

स्मार्ट सिटी में मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति में देंगे राहत

नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण के लिए नागरिकों के स्वामित्व के स्थान को निर्माण तोड़ कर ले लिया जाता है। इसके बाद में जब नागरिक अपने मकान का पुनर्निर्माण करने अथवा उसमें सुधार कार्य करने के लिए नगर निगम में जाता है तो उसे नए सिरे से नक्शा मंजूर कराने के लिए कहा जाता है। नक्शा मंजूरी की फीस इन नागरिकों से लाखों रुपए में ली जाती है। यह इन नागरिकों के साथ अन्याय हैं। इस अन्याय को समाप्त किया जाएगा। नागरिकों को अपने भवन का हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के लिए देने के कारण नया नक्शा मंजूर नहीं कराना होगा, ऐसा प्रावधान किया जाएगा। इन नागरिकों को निगम के द्वारा भवन की मरम्मत की अनुमति दी जाएगी और उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सड़क के चौड़ीकरण के लिए नागरिकों के द्वारा अपने स्वामित्व की जमीन अपने निर्माण को तोड़कर नगर निगम को दी जाती है। ऐसे नागरिकों का जितना क्षेत्रफल का निर्माण तोड़ा गया है उसके एवज में उन्हें टीडीआर का सर्टिफिकेट राज्य शासन से दिलवाने का प्रयास किया जायेगा। ताकि उसके आधार पर वे आने वाले समय में उन्हें हुए नुकसान के एवज में आय प्राप्त कर सकें।

कॉलोनियों को मेंटेनेंस शुल्क से मुक्ति

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में स्थित विकसित हो चुकी सभी टाउनशिप और कॉलोनियों के रहवासियों को अभी मेंटेनेंस शुल्क के रूप में हजारों रुपए प्रतिमाह देना पड़ते हैं। यह कॉलोनियां नगर निगम को हैंड ओवर हो चुकी है। नगर निगम के द्वारा इन कॉलोनियों में स्थित बगीचे की भूमि को अपने कब्जे में लिया जा चुका है। सड़के भी निगम के पास है लेकिन निगम के द्वारा इन कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से कराई जाएगी। इसके साथ ही कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी में मेंटेनेंस के नाम पर जो हजारों रुपए प्रतिमाह की राशि कॉलोनी के प्लाट धारकों से वसूल की जा रही है उसे पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा।

नहीं लेंगे बेटरमेंट टेक्स

इंदौर विकास योजना 2021 में जिन मेजर सड़कों का प्रावधान किया गया था उनमें से पांच सड़कों का निर्माण नगर निगम को सौंपा गया है। निगम के द्वारा इसमें एम आर 3, एम आर 5, एम आर 11, एम आर 9 और आर ई 2 का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के द्वारा इन मार्गों पर स्थित कॉलोनियों में रहने वाले लोगो और प्लाट धारकों से बेटरमेंट टेक्स वसूलने का ऐलान किया गया है। हम बेटरमेंट टेक्स की वसूली किसी भी वर्तमान में स्थित कॉलोनी के रहवासियों से नहीं होने देंगे व दिये गये नोटिस निरस्त किये जाएंगे। हमारा मानना है कि जैसा कि बैटरमेंट शब्द का अर्थ ही यह कहता है कि किसी बुरी स्थिति को बेहतर बनाना। नवीन विकसित क्षेत्रों को बेटरमेंट क्षेत्र नहीं कह सकते।

नक्शा मंजूरी होगी आसान

नगर निगम में भवन अनुज्ञा शाखा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। नागरिकों के नक्शे की मंजूरी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया जाता है। इस शाखा का शुद्धिकरण किया जाएगा। किसी भी इंजीनियर को एक से अधिक जोनल क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अभी निगम के उच्च अधिकारियों के पसंदीदा और अच्छी वसूली करने वाले इंजीनियरों को एक से अधिक जोन की जिम्मेदारी देकर उपकृत किया जा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही 1000 वर्ग फीट तक के नक्शे 24 घंटे में और 2000 वर्ग फीट तक के नक्शे 7 दिन के अंदर मंजूर करने की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से निगम के इस विभाग में भ्रष्टाचार नियंत्रित हो सकेगा। सबसे पहले इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। उसके बाद में ही उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा सकेगा।

लीज का नवीनीकरण

इंदौर शहर में अलग–अलग क्षेत्रों में इंदौर नगर निगम के द्वारा लीज पर जमीन दी हुई है। लीज की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी इस जमीन की लीज का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि लीज पर जमीन लेने वाले व्यक्ति का निधन हो गया तो उसके वैध उत्तराधिकारियों के नाम पर लीज को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इस मामले में हमें समग्र नीति बनाकर आसानी के साथ सभी नागरिकों की ऐसी नगर निगम के द्वारा लीज पर दी गई संपत्ति की लीज का नवीनीकरण और नामांतरण करने का कार्य कराएंगे।

संपत्ति कर से भी मिलेगी छूट

शहर में 500 वर्ग फीट तक के आवासीय भूखंड पर नक्शा मंजूरी का कार्य बिना फीस के निशुल्क किया जाएगा। इसके साथ ही इन भवनों के क्षेत्र को संपत्ति कर से भी पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। इससे गरीब वर्ग को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। अभी इस वर्ग को नगर निगम को संपत्ति कर के नाम पर हजारों रुपए की राशि प्रतिवर्ष चुकाना पड़ रही है।

सम्पत्ति कर की समस्या का समाधान

पिछले बीस वर्षों में शहर का जो विस्तार हुआ है उसमें सम्पत्तियों के स्वरूप में परिवर्तन आया है। अब मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, बहुमंजिला इमारतें, रो–हाउस, टाउनशिप भी आ गये है। सम्पत्ति कर के स्वनिर्धारण की जो प्रणाली मैंने निगम में राजस्व समिति का प्रभारी रहते हुए वर्ष 1997 में लागू की थी उस प्रणाली में पिछले बीस वर्षों में भाजपा परिषदों द्वारा सुधार कर उसे बेहतर बनाने के बजाए उसे तहस–नहस कर दिया गया। बिना किसी आधार के सम्पत्ति कर की प्रति वर्गफुट वार्षिक भाड़ा मूल्य की आवासीय और गैर आवासीय दरों में अनाप–शनाप वृद्धि की गई। इसके माध्यम से एक सरल प्रणाली को जटिल कर दिया गया है। इस प्रणाली को एक बार फिर जनता के लिए फ्रैंडली बनाया जाएगा। पिछली परिषदों द्वारा सम्पत्ति कर के साथ लगाये गये जल अभिकर एवं जल निकास कर को समाप्त किया जाएगा। सम्पूर्ण शहर की गली, मोहल्ले, कॉलोनी, टाउनशिप आदि का नये सिरे से वर्गीकरण किया जाएगा। वर्तमान छः रेट जोन के स्थान पर अधिक रेट जोन बनाए जाएगे। सम्पत्ति कर स्वनिर्धारण के लिए वर्ष 1996–97 की समयसीमा समाप्त की जाएगी। अधिकतम पिछले 10 वर्षों का सम्पत्ति कर ही उन सम्पत्ति धारकों से लिया जाएगा जिन्होंने आज तक अपनी सम्पत्ति पर कर नहीं चुकाया। भाजपा परिषद द्वारा लगाए गए चक्रवृद्धि सरचार्ज को समाप्त किया जाएगा। सम्पत्ति कर के लिये जी.आई.एस. आधारित सर्वे के जो नोटिस सम्पत्ति स्वामियों को दिये गये है उन्हें निरस्त किया जाएगा। सम्पत्ति कर के लिये मुख्य बाजार क्षेत्र एवं मुख्य सड़कों को नए सिरे से चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा एवं पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा।

व्यापारियों को फ्री ट्रेड लाइसेंस

इंदौर नगर निगम के द्वारा सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस दिए जाते हैं। इस लाइसेंस का शुल्क 200 रुपये से लेकर हजारों रुपए तक है। इन व्यापारियों को फ्री में ट्रेड लाइसेंस दिये जाएंगे।

दिल्ली मॉडल लागू करेंगे

इस समय हम लोग देखते हैं कि पूरे देश में स्कूली शिक्षा और पानी सप्लाई के क्षेत्र में खास तौर पर दिल्ली की सरकार के द्वारा बहुत बेहतर कार्य किया गया है। उस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा की जाती है। मैंने उक्त योजनाओं का काफी कुछ अध्ययन किया है। मैं स्वयं महापौर निर्वाचित होने पर दिल्ली की सरकार की योजना का अध्ययन करवाऊंगा। फिर उस योजना को और अधिक प्रभावी रूप से इंदौर में भी लागू करने का काम करूंगा। ताकि इंदौर के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूल से ज्यादा अच्छी और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था लागू हो सके। दिल्ली की तर्ज पर सरकारी अस्पताल इतने बेहतर हो जाए कि वहां पर हर व्यक्ति को जाकर अपना इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए नगर निगम के द्वारा

इंदौर शहर में हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी खोल कर नियमित ओ.पी.डी. चालू कर लोगों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर ही हम हर घर नल, घर–घर जल की योजना को क्रियान्वित करेंगे। इस तरह की योजना का नारा तो भाजपा लगाती रही है लेकिन योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में इंदौर में पिछले 22 सालों में कोई काम नहीं किया गया है।

हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र

इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर के सभी 85 वार्ड में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इस स्वास्थ्य केंद्र में जाकर नागरिक अपनी बीमारियों का डॉक्टरों से इलाज करवा सकेंगे और उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। इस व्यवस्था को आकार देकर नागरिकों को अस्वस्थता की स्थिति में राहत दिलाने का काम किया जाएगा।

कॉलोनी वैध करना , गरीबों को मकान

नगर निगम की कॉलोनी सेल शाखा भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा गढ़ है। इस शाखा में अनियमितताओं की अंबार है। अवैध कालोनियों को वैध करने का काम मेरी प्राथमिकता की सूची में है। राज्य सरकार के द्वारा बार–बार झूठ बोला गया। इंदौर में अवैध कॉलोनी वैध नहीं हो पाई है। मैं निर्वाचित होने पर इन कालोनियों को वैध करूंगा। इनमें रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराउंगा। अभी नगर निगम के द्वारा इन अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों से टैक्स तो लिया जाता है लेकिन उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही है। इस स्थिति को समाप्त किया जाएगा। सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि हर कॉलोनी में एक निश्चित प्रतिशत प्लाट गरीब वर्ग के लिए आरक्षित रखना होंगे। यह प्लाट उस वर्ग के लोगों को सरकारी दर पर आवंटित किया जाए। अभी नगर निगम की कॉलोनी सेल के अधिकारियों और कॉलोनाइजर के द्वारा मिलीभगत करते हुए इन प्लाटों को कॉलोनाइजर अपने से जुड़े लोगों के नाम पर आबंटित दिखा देता है और बाद में यह प्लाट बाजार में बेचे जा रहे हैं। कभी कोई दबाव आ जाता है और किसी गरीब को यह प्लाट देना होता है तो कॉलोनाइजर के द्वारा उस गरीब से नगद राशि के रूप में अवैध वसूली की जाती है। इस स्थिति को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। इंदौर शहर में शिविर लगाकर गरीब नागरिकों का प्लाट पाने के लिए पंजीयन किया जाएगा। इन पंजीकृत नागरिकों को सीधे इन कॉलोनियों में प्लाट का आबंटन नगर निगम के द्वारा कराया जाएगा।

सुगम यातायात के लिए फ्लाईओवर ब्रिज

शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इस समय पूरा शहर यातायात की अव्यवस्था के कारण कराह रहा है। ऐसे में शहर के बाहरी क्षेत्र में रिंग रोड और बाईपास पर फ्लाई ओवर ब्रिज बना देने से इंदौर शहर की यातायात की समस्या का समाधान नहीं होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर में बड़ा गणपति चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, नौलखा चौराहा, अग्रसेन चौराहा, शिवाजी वाटिका चौराहा, जीएसआईटीएस चौराहा, एम आर 11 चौराहा, हुकुमचंद घंटाघर चौराहा, एलआईजी चौराहा, मरी माता चौराहा और टावर चौराहा पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि नागरिकों को यातायात में जाम से मुक्ति मिल सके। शहर के बढ़ते निजी वाहनों की संख्या को देखते हुए अनेक पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जाएगा।

जो कहा है वो करेंगे

संजय शुक्ला

महापौर प्रत्याशी कांग्रेस

सड़क पर कारोबार करने वालों को सम्मान

शहर में सड़क पर बैठकर कारोबार करने वाले लोग नगर निगम की पीली गाड़ी के अत्याचार और आतंक के शिकार होते हैं। इन लोगों का सामान लूट लिया जाता है। उन्हें बंदी देने के लिए मजबूर किया जाता है और उसके बाद भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इन सभी नागरिकों को हर वार्ड में अलग निश्चित सर्वसुविधा युक्त स्थान विकसित कर दिया जाएगा। वहां पर सम्मान के साथ कारोबार करने की इन्हें आजादी दी जाएगी। इसके माध्यम से इन कारोबारियों को अभद्रता से मुक्ति मिलेगी। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी। इन कारोबारियों को व्यवस्थित तरीके से कारोबार करने के लिए जगह देकर हम बाजार में कारोबार कर रहे व्यापारियों की उस समस्या को भी समाप्त कर देंगे जिसमें कि उनकी दुकान के सामने सड़क के किनारे लगने वाली दुकान के कारण उन्हें परेशानी होती है। इस परेशानी के चलते शहर के मध्य क्षेत्र में कई बार विवाद की स्थिति भी बन चुकी है। इस समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा ।

पीली गैंग के आतंक से मुक्ति

इंदौर नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना मेरा पहला काम रहेगा। इस समय सारे शहर की जनता नगर निगम के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। नगर निगम की पीली गाड़ी के द्वारा सारे शहर में अवैध वसूली काम किया जाता है। पीली गाड़ी के आतंक से शहर के नागरिकों को मुक्ति दिलाऊंगा और निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाऊंगा।

नागरिक कार्यो का साफ्टवेयर

नगर निगम में आम नागरिकों के काम समय सीमा में हो इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के साथ निगम के मुख्यालय और सभी जोनल कार्यालयों में एकल खिड़की शुरू की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर पर एकल खिड़की पर जाकर या अपने घर पर बैठे–बैठे नागरिक अपनी शिकायत को दर्ज करा सकेंगे। इस शिकायत का निश्चित समयावधि में समाधान किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर संबंधित शिकायत को संबंधित विभाग तक तत्काल पहुंचाने का काम करेगा। नगर निगम के वर्तमान में चल रहे 311 एप से नागरिकों को राहत नहीं मिल सकी है। हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नई व्यवस्था को लागू कर नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करेंगे। पिछले 20 वर्षों के दौरान भाजपा के शासनकाल में नगर निगम में भ्रष्टाचार सर्वोपरि हो गया है। आज हालत यह है कि नगर निगम का एक भी काम पैसे दिए बगैर नहीं होता है।

नर्सिंग होम की एन.ओ.सी. का मामला

इंदौर शहर में अलग–अलग क्षेत्र में 320 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। इन नर्सिंग होम के द्वारा नागरिकों को बीमारी–दुर्घटना की स्थिति में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। अब इन सभी नर्सिंग होम के बंद हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा इन नर्सिंग होम की फायर एनओसी रोक दी गई है। जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नर्सिंग होम का लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान करते हुए में निर्वाचित होने के बाद 24 घंटे में इन सभी नर्सिंग होम की फायर एनओसी को नगर निगम से जारी करवा दूंगा।

स्वीमिंग पूल, खेल मैदान, खेल संकुल

पिछले 50 सालों से इंदौर शहर में मात्र 2 स्वीमिंग पूल नेहरू पार्क और महू नाका चौराहा पर स्थित है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पूल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में खेल के मैदानों की कमी है जिसके चलते हुए खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सालभर हमारे घर के बच्चे दिनभर टी.वी. एवं मोबाइल में लगे रहते है। शहर में मात्र छोटा नेहरू स्टेडियम और बड़ा नेहरू स्टेडियम के रूप में दो स्टेडियम ही मौजूद है। इस स्टेडियम को खेल संकुल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में अलग–अलग दिशाओं में स्टेडियम एवं छोटे खेल मैदान का निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा। इन्दौर में कुश्ती की पुरानी परम्परा रही है। इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा एवं इसके लिये आधुनिक कुश्ती की आधारभूत सुविधाएं विकसित की जावेगी।

रीजनल पार्क

नगर निगम के उद्यान विभाग के द्वारा शहर में बगीचों की देखरेख के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जबकि बगीचे सारे रहवासी संघ को को दे दिए गए हैं। क्षेत्र के रहवासियों द्वारा आपस में पैसा इकट्ठा करके बगीचे की देखरेख का काम किया जाता है। अब तक का यह रिकॉर्ड है कि कई बार महापौर के निकट के रिश्तेदार बगीचे के लिए कभी पौधे, कभी खाद , तो कभी झूले चकरी के सप्लायर बन जाते हैं। इस तरह उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है। इस विभाग के कामकाज को व्यवस्थित किया जाएगा। विभाग के माध्यम से रीजनल पार्क की तरह शहर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1– 1 पार्क का विकास किया जाएगा।

बेरोजगारों के लिए बाजार

इंदौर शहर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दिल्ली के पालिका बाजार की तरह इंदौर में भी नगर निगम के द्वारा बहुमंजिला बहु उपयोगी मार्केट बनाए जाएंगे । इन मार्केट में इन बेरोजगार युवाओं को दुकानें देकर हम खुद के रोजगार में लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम कम से कम इन युवाओं को पकोड़े बनाने का काम करने की सलाह नहीं देंगे।

कर्मचारियों को स्थाई करना

इंदौर नगर निगम में पिछले कई सालों से कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया गया है। जो स्थाई कर्मचारी हैं वे एक के बाद एक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम में स्थाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। नगर निगम का पूरा काम मस्टर कर्मचारियों के दम पर चल रहा है। मैं महापौर बनूंगा

तो इन सभी मस्टर कर्मचारियों को स्थाई करते हुए उनके जीवन की आर्थिक समस्या का समाधान करूंगा। उन्हें अधिक मन लगाकर तन्मयता के साथ नगर निगम में सेवा के कार्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित करूंगा। स्वच्छता में पूरे देश में इंदौर के नंबर वन आने से इंदौर का मान बढ़ा है। इंदौर को यह सम्मान इस शहर के नागरिकों की सहभागिता और सफाई मित्रों के सेवा समर्पण के कारण मिला है। पिछले 2 सालों से नगर निगम में कोई भी परिषद कार्यरत नहीं है। इसके बाद भी नगर देश में सफाई में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है। नगर निगम में काम करने वाले सफाई मित्रों को स्थाई किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की सफाई की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 5000 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सफाई मित्रों को अपनी उपस्थिति देने के लिए अलग से अंगूठा लगाने के लिए जाना पड़ता है। उन्हें इस अनिवार्यता से मुक्ति दिलाई जाएगी। सफाई मित्रों की क्रमोन्नति और पदोन्नति शीघ्र हो इसके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था को आकार दिया जाएगा।

महापौर पेंशन योजना

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का शहरी क्षेत्र में क्रियान्वयन इंदौर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। निगम के माध्यम से वृद्धजनों, विधवाओं, परित्यागताओ और विकलांगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी यह सहायता उतनी ही मिल रही है जितनी कि सरकार के द्वारा भेजी जा रही है। अब हर पेंशन प्राप्त करने वाले को सरकार की पेंशन के साथ–साथ महापौर पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

हर जोन के क्षेत्र में बनेगी गौशाला

इंदौर नगर निगम के द्वारा हर जोनल कार्यालय के क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा। ताकि वहां पर जाकर नागरिक 33 करोड़ देवी देवता का प्रतीक समझी जानेवाली गौ माता को अपनी श्रद्धा के अनुसार रोटी सब्जी खिला सके। इस गौशाला का निगम के द्वारा ही बेहतर तरीके से संचालन किया जाएगा।

एडव्होकेट चेम्बर का निर्माण

शहर के अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए इंदौर नगर निगम के द्वारा एडव्होकेट चेंबर का निर्माण किया जाएगा। यह चेंबर शहर के मध्य क्षेत्र में तथा पिपलियाहाना क्षेत्र में जहां पर की न्यायालय स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, वहां पर बनाए जाएंगे एवं लागत मूल्य पर आबंटित किए जाएंगे।

शहर में 50 फुड जोन

अभी शहर में फूड जोन के नाम पर नागरिकों को जाने के लिए स्थान नहीं है। यदि किसी को जाना है तो वह 56 दुकान जाएं अन्यथा रात के समय पर सराफा की चाट चौपाटी पर चला जाए। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर अव्यवस्थित तरीके से बिना अनुमति के फूड जोन का संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में सारे शहर में 50 स्थानों पर फूड जोन के रूप में चाट चौपाटी का मार्केट शुरू किया जाएगा।

कम्युनिटी हॉल का निर्माण

इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर के अलग–अलग क्षेत्रों में कम्युनिटी हाल बनाए गए हैं। इनमें से कई कम्युनिटी हाल की हालत बहुत ज्यादा जर्जर हो गई है । इन सारे कम्युनिटी हाल को नवनिर्मित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी हाल नहीं है वहां पर कम्युनिटी हॉल का विकास किया जाएगा। यह कम्युनिटी हाल गरीब तबके के नागरिकों

को सामाजिक और मांगलिक कार्यों के लिए न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्मशान घाट– कब्रिस्तान का विकास

इंदौर शहर की सीमा में शामिल किए गए 29 गांव में स्थित श्मशान घाट–कब्रिस्तान के विकास का कोई कार्य नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया है। इन सभी गांव में इन स्थानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन सभी स्थानों के कब्रिस्तान और श्मशान घाट को शहरी क्षेत्र की तरह विकसित कर बेहतर बनाया जाएगा।

नदी मे नौका चलाएंगे

नगर निगम के द्वारा पिछले 10 साल से नाला टेपिंग का काम किया जा रहा है। वर्ष 2020 में तो नगर निगम के द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर नाले में मिलने वाले सीवरेज के आउटफाल को टेपिंग करने का काम किया गया। अब नगर निगम का दावा है कि पुरा नाला नदी बन चुका है। हम इसका परीक्षण कराएंगे और इसे नदी के रूप में विकसित करेंगे। इसमें नाव चलवाएंगे। इसके दोनों किनारों को टूरिस्ट सेंटर के रूप में तैयार करेंगे ताकि शहर के नागरिक भी शाम के समय पर घूमने फिरने के लिए इस स्थान पर आ सके।

हुकुमचंद मिल मजदूरों का भुगतान

इंदौर शहर में एक बड़ा मुद्दा बंद हो चुकी हुकुमचंद मिल के मजदूरों को न्यायालय के द्वारा तय की गई उनकी देनदारी चुकाने का है। इस बारे में राज्य सरकार के द्वारा बार–बार घोषणा की जा रही है लेकिन इन मजदूरों को उनके अधिकार का पैसा नहीं मिल रहा है। नगर निगम के द्वारा मिल की जमीन पर अपना दावा जता दिया जाता है और मजदूरों के पैसे के भुगतान पर रोक लगवा दी जाती है। मैं महापौर बनने के बाद प्राथमिकता के साथ सबसे पहले हुकुमचंद मिल के इन मजदूरों को उनके अधिकार का पैसा दिलवाउंगा। यह पैसा सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी भुगतान के आदेश दिए है।

जनधन का दुरुपयोग रोकेंगे

एक बड़ा मुद्दा नागरिकों के द्वारा नगर निगम के रूप में दी जाने वाली राशि के दुरुपयोग का है। अभी होता यह है कि नगर निगम के द्वारा कहीं पर सड़क बनाई जाती है। फिर 6 महीने बाद उस सड़क को पानी की लाइन डालने के लिए खोद दिया जाता है। फिर कभी उसे सीवरेज की लाइन के लिए खोद दिया जाता है। फिर वापस से सड़क का निर्माण करा दिया जाता है। इस तरह एक ही काम पर कई बार पैसा खर्च करते हुए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। इस दुरुपयोग में भ्रष्टाचार भी छुपा हुआ होता है। ठेकेदार से जब सड़क बनवाते हैं तब यह गारंटी रहती है कि 3 साल या 5 साल तक सड़क की देखरेख करने का काम ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा। उसके पहले ही नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से कुछ न कुछ कारण बताकर सड़क को खोदने का काम कर दिया जाता है ताकि ठेकेदार सड़क का मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। इस तरह की कार्रवाई को सख्ती से रोका जाएगा।

वित्तीय अनुशासन

निगम का वित्तीय प्रबंध श्रेष्ठ एवं विशिष्ट दक्षता के साथ किया जावेगा। आवश्यक व्ययों में मितव्ययिता एवं अनावश्यक खर्चों को शून्य किया जाएगा। वित्तीय रिसावों को सख्ती से रोका जाएगा जिससे कि शहर में मूलभूत सुविधाओं के रख–रखाव व विकास पर अधिकतम राशि खर्च हो सके।

अन्य प्रमुख मुद्दे

- जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क सात दिनों में घर पर भिजवाये जायेंगे।
- स्थानीय जल क्षेत्रों का दोहन, तालाब, बावड़ी, जीर्णोद्धार।
- चलित ठेला व्यवसाय करने वालों को लिए प्रत्येक झोन से लायसेंस देकर अस्थायी ठेला खड़ा करने का स्थान दिया जाएगा।
- युवा के लिए वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी ताकि निम्न व मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल सकें।
- महापौर के द्वारा हर दिन एक निश्चित समय पर नगर निगम मुख्यालय पर बैठकर जनता की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
- अधिकारियों के लिए कार्यालय में बैठने का निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा।
- जहां भी निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता पर नजर रखने का अधिकार क्षेत्र के नागरिकों को देंगे।
- शहर में सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था का बेहतर रख–रखाव कर उसमें निवेश का 100 प्रतिशत लाभ लिया जाएगा।
- शहर में लगने वाले हाट बाजारों को व्यवस्थित किया जावेगा।
- प्रत्येक वार्ड में प्रतिवर्ष 50 पौधे लगाकर उनका रख–रखाव किया जाएगा। वार्ड के नागरिकों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
- शहर के चौराहों का विकास एवं सार्वजनिक वॉटर कूलर (प्याऊ) निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के इच्छुक संस्थानों से पांच वर्ष के रख–रखाव की ग्यारंटी के साथ करवाने का आग्रह किया जाएगा।

सदैव आपका

संजय शुक्ला (विधायक)

महापौर प्रत्याशी कांग्रेस

संख्या : 1000, प्रकाशक : संजय शुक्ला जीताओ समिति, मुद्रक : सुगन ग्राफिक्स